अनुसूची 3

[धारा 7 देखिए]

ऐसे क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल की पूर्ति माना जाएगा न ही सेवाओं की पूर्ति

1. कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के संबंध में या उसके अनुक्रम में नियोजक को दी गई सेवाएं।

2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा सेवाएं।

3. **(क)** संसद सदस्यों, राज्य विधान सभा के सदस्यों, पंचायतों के सदस्यों, नगर पालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा किए गए कृत्य;

   (ख) संविधान के उपबंधों के अनुसरण में किसी पद को धारण किए हुए किसी व्यक्ति द्वारा उस हैसियत में निर्वहन किए गए कर्त्तव्य; या

   (ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित निकाय में किसी व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य या निदेशक के रूप में निर्वहन किए गए कर्त्तव्य और जिसे इस खंड के प्रारंभ से पूर्व किसी कर्मचारी के रूप में न समझा जाए।

4. अंतिम संस्कार, दफनाना, शवदाहगृह या मुर्दाघर जिसके अंतर्गत मृतक के परिवहन की सेवाएं भी है।

5. भूमि का विक्रय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अध्यधीन भवन का विक्रय।

6. [1][विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों] के अतिरिक्त अनुयोज्य दावे।

[2][7. गैर–कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी स्थान से, गैर–कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी अन्य स्थान पर माल की, ऐसे माल को भारत में प्रवेश किए बिना पूर्ति।

8. **(क)** घरेलू उपभोग के लिए अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागार में रखे गए माल की पूर्ति;

   [3][**(कक)** किसी व्यक्ति को या घरेलू टैरिफ क्षेत्र को निर्यात के लिए निकासी से पूर्व विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र में भंडागार में रखे गए माल की पूर्ति;]

   (ख) परेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल का भारत से बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषण किए जाने के पश्चात् किन्तु घरेलू उपभोग के लिए अनुमति दिए जाने से पूर्व माल के मालिकाना हक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा माल की पूर्ति।]

---

1 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का क्रमांक 30) द्वारा ''लाटरी, दांव और द्यूत'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 48/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2023 द्वारा इसको दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील किया गया।

2 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा पैरा 7 एवं पैरा 8 अंतःस्थापित, अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा प्रभावशील दिनांक 01.02.2019। शर्तों के अधीन, एकत्र किए गए सभी करों की, कोई वापसी नहीं की जाएगी। वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का कमांक 8), दिनांक 31.03.32023 द्वारा इसको दिनांक 01.07.2017 से प्रभावशील किया गया, और यह कि इसको अधिसूचना क्रमांक 28/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 31.07.2023 द्वारा 01.10.2023 से नियत किया गया।

3 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) की धारा 133 द्वारा खंड (कक) दिनांक 01.07.2017 से अंतःस्थापित। सभी ऐसे कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संग्रहित किया गया है किंतु जो वित्त अधिनियम, 2025 की धारा 134 के तहत संग्रहित नहीं किया गया होता।

[4][9. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि मुख्य बीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, सह बीमा करारों में, बीमा किए गए व्यक्ति को मुख्य बीमाकर्ता और सह–बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से पूर्ति की गई बीमा सेवाओं के लिए मुख्य बीमाकर्ता द्वारा सह– बीमाकर्ता को सह–बीमा प्रीमीयम के प्रभाजन का कियाकलाप ।

10. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि पुनःबीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा उक्त अध्यर्पित कमीशन या पुनःबीमा कमीशन सहित संदत्त पुनःबीमा प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, पुनःबीमाकर्ता द्वारा पुनःबीमाकर्ता को सेवाएं, जिसके लिए अध्यर्पित कमीशन या पुनःबीमा कमीशन पुनःबीमाकर्ता को बीमाकर्ता द्वारा संदत्त पुनःबीमा प्रीमियम से कटौती किया जाता है ।]

स्पष्टीकरण [5][1] : पैरा 2 के प्रयोजनों के लिए ''न्यायालय'' पद के अन्तर्गत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी हैं ।

[6][**स्पष्टीकरण 2 :** [7][पैरा 8 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए], ''भांडागार में रखे गए माल'' पद का वही अर्थ होगा, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का क्रमांक 52) में उसका है ।]

[8][**स्पष्टीकरण 3 :** पैरा 8 के खंड (कक) के प्रयोजनों के लिए, ''विशेष आर्थिक जोन'' ''मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र'' *[और ''घरेलू टैरिफ क्षेत्र''] पदों के वहीं अर्थ होंगें, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 में उनके लिए निर्दिष्ट है ।]

---

4 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा पैरा 9 एवं पैरा 10 अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

5 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनःक्रमांकित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

6 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा स्पष्टीकरण 2 अंतःस्थापित। अधिसूचना क्र. 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया। वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा यह प्रावधानित किया गया है कि अंतःस्थापित स्पष्टीकरण 2 दिनांक 01.07.2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

7 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) की धारा 133 द्वारा ''पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए'' के स्थान पर दिनांक 01.07.2017 से प्रतिस्थापित। सभी ऐसे कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संग्रहित किया गया है किंतु जो वित्त अधिनियम, 2025 की धारा 134 के तहत संग्रहित नहीं किया गया होता।

8 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) की धारा 133 द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक 01.07.2017 से अंतःस्थापित। सभी ऐसे कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संग्रहित किया गया है किंतु जो वित्त अधिनियम, 2025 की धारा 134 के तहत संग्रहित नहीं किया गया होता।

* वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) की धारा 133 के अंग्रेजी संस्करण से लिया गया है।